359

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी निग – 1118 – I – 16

जगतनारायण पुत्र सरयू प्रसाद जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम सपाड़ परगना व जिला भिण्ड (म.प्र.)

.........आवेदक

तिवारी एड. 3-6-2016

बनाम

कृष्णबिहारी पुत्र गंधर्व जाति ब्राहम्मण, मृतक द्वारा वारिसान उत्तराधिकारी निवासी ग्राम सपाड परगना व जिला भिण्ड (म.प्र.) ....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 20.05.2016 द्वारा पारित अपर तहसीलदार वृत्त फूप प्रकरण क्रमांक 692/2015–16 बी. 121

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के तथ्य :–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 89 म.प्र. भू– राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे नं. 119 रकवा 0.303 आरे था तथा बन्दोबस्त के पश्चात उक्त आराजी का नवीन सर्वे नम्बर 327 रकवा 0. 303 हेक्टे. बनाया गया है जिसमें बन्दोबस्त के दौरान उपरोक्त आराजी के बनाये गये नक्शे में रकवा कम कर दिया गया है जिस कारण नवीन नक्शा एवं नवीन खसरा के बीच रकवा का सही मिलान नहीं होता है इसलिये बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को सुधारा जाये। आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 09.11.2015 को बकालतनामा प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 30.11.2015 तारीक पेशी नियत की गई तथा दिनांक 22.12.2015, 30.12.2015 ,18.01.2016, 28.01.2016, 22.02.2016

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1718–एक/2016 जिला–भिण्ड

जगतनारायण विरूद्ध कृष्णबिहारी (मृतक) वारिसान–उमाशंकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर तहसीलदार वृत्त फूप, जिला–भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 692/2015–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 20–05–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–भिण्ड के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 11.3.19 सदस्य	